



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 9 जनवरी, 2026

पौष 19, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

सहकारिता अनुभाग-1

संख्या 7/49-1-2026

लखनऊ, 9 जनवरी, 2026

अधिसूचना

सं०प०नि०-3

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित भण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 (अधिनियम संख्या 58 सन् 1962) की धारा 42 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम कर्मचारिवर्ग विनियमावली, 2021 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, अर्थात:-

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम कर्मचारिवर्ग (प्रथम संशोधन)
विनियमावली, 2026

1-(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम कर्मचारिवर्ग संक्षिप्त नाम और
(प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2026 कही जायेगी। प्रारम्भ

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2- उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम कर्मचारिवर्ग विनियमावली, 2021 में नीचे विनियम 9 का
स्तम्भ-एक में दिये गये विनियम 9 के उप-विनियम (1) के विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर संशोधन
स्तम्भ-दो में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ—एक**(विद्यमान खण्ड)**

9—(1) सीधी भर्ती की प्रक्रिया:—

(क) सीधी भर्ती को, निदेशक बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सामान्य अनुदेशों द्वारा विनियमित किया जाएगा;

(एक) निगम में समूह 'ग' के अन्तर्गत कनिष्ठ कार्यालय सहायक, प्राविधिक सहायक एवं कम्प्यूटर प्रोग्रामर के पद तथा समूह 'घ' के अन्तर्गत चौकीदार/चपरासी के पद पर सीधी भर्ती हेतु कुल मूल्यांकन में निगम में आकस्मिक/संविदा पर कार्यरत कर्मियों/व्यक्तियों को निगम में की गयी सेवा के अनुरूप भारांक दिया जायेगा।

(दो) चयन हेतु कुल मूल्यांकन हेतु निर्धारित अंकों में निगम में आकस्मिक/संविदा पर कार्यरत कर्मियों/व्यक्तियों को प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 2.5 अंक अधिकतम 25 अंक तक दिया जायेगा।

(तीन) नियम में कार्यरत दैनिक/आकस्मिक/संविदा पर कार्यरत कर्मियों/व्यक्तियों को उनकी सेवा अवधि के बराबर आयु सीमा में छूट प्रदान की जायेगी।

टिप्पणी—

1— यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक समान हों तो ऐसे अभ्यर्थी का नाम, जो आयु में ज्येष्ठ हो, सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा।

2— यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक और आयु समान हों तो अभ्यर्थी का नाम, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार सूची में रखा जायेगा।

स्तम्भ—दो**(एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)**

9—(1) सीधी भर्ती की प्रक्रिया:—

(क) उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम से अध्याचन प्राप्त करने के पश्चात, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आई0बी0पी0एस0) के माध्यम से श्रेणी—एक, श्रेणी—दो एवं श्रेणी—तीन (ड्राइवर को छोड़कर) के विभिन्न पदों की सीधी भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया पूर्ण करेगा।

(ख) श्रेणी—चार के पदों की चयन प्रक्रिया समय-समय पर जारी किये गये सरकार के आदेशों/निदेशों के अनुसार मा0 निदेशक बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त, पूर्ण की जाएगी;

(एक) श्रेणी—तीन के अधीन कनिष्ठ कार्यालय सहायक, प्राविधिक सहायक एवं कम्प्यूटर प्रोग्रामर के पदों तथा श्रेणी—चार के अधीन चौकीदार/चपरासी/मैसंजर/सहयोगी के पदों पर सीधी भर्ती हेतु कुल मूल्यांकन में सेवा के अनुसार वरीयता दी जायेगी।

(दो) निगम में आकस्मिक/संविदा कर्मियों को प्रत्येक पूर्ण कार्य वर्ष के लिए 2.5 अंक, अधिकतम 25 अंक तक दिया जायेगा।

(तीन) निगम में आकस्मिक/संविदा कर्मियों को विज्ञापन के दिनांक के अनुसार, निगम में उनकी सेवा अवधि के बराबर अथवा अधिकतम 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी कम हो, समकक्ष आयु में शिथिलीकरण दिया जायेगा।

टिप्पणी—

1— यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हों तो ऐसे अभ्यर्थी का नाम, जो आयु में ज्येष्ठ हों, सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा।

2— यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक और आयु समान हों तो अभ्यर्थियों का नाम, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सूची में रखा जायेगा।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 7/XLIX-1-2026, dated January 9, 2026:

No. 7/XLIX-1-2026

Dated Lucknow, January 9, 2026

IN exercise of the powers under Section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (Act no. 58 of 1962) read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Uttar Pradesh State Warehousing Corporation, with the prior sanction of the State Government, is pleased to make the following regulations with a view to amend the Uttar Pradesh State Warehousing Corporations Staff Regulations, 2021, namely:—

**THE UTTAR PRADESH STATE WAREHOUSING CORPORATIONS STAFF
(FIRST AMENDMENT) REGULATIONS, 2026**

1. (1) These Regulations may be called the Uttar Pradesh State Warehousing Corporations Staff (First Amendment) Regulations, 2026. Short title and commencement

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Uttar Pradesh State Warehousing Corporations Staff Regulations, 2021 Amendment of regulation 9
for the existing clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 9 set out in Column-I below, the clause as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:—

COLUMN-I

(Existing Clause)

(a) Direct recruitment shall be regulated by the general instructions issued by the Board of Directors from time to time;

(i) For the direct recruitment to the posts of Junior office Assistant, Technical Assistant and Computer Programmer under group 'C' and of Watchman/ Peon/ Messenger/ Helper under group 'D' the weightage according to service shall be given in total evaluation.

(ii) Casual/Contractual workers in Corporation shall be given 2.5 marks per completed working year, up to maximum 25 marks.

(iii) Casual/Contractual workers in Corporation shall be given age relaxation equivalent to their service duration in Corporation.

COLUMN-II

(Clause as hereby substituted)

(a) the Uttar Pradesh Co-operative Institutional Service Board, Lucknow will complete the selection procedure for direct recruitment of different posts of Class-1, Class-II and Class-III (excluding Driver), after receiving requisition from the Uttar Pradesh State Warehousing Corporation, through Institute of Banking Personnel Selection (IBPS).

(b) the selection process of Class-IV posts will be completed after the approval of the Hon'ble Board of Directors in accordance with the Government orders/directives issued from time to time.

(i) for direct recruitment to the posts of Junior Office Assistant, Technical Assistant and Computer Programmer under Class-III and of Watchman /Peon /Messenger/Helper under Class-IV, weightage according to service shall be given in total evaluation;

(ii) casual/contractual workers in Corporation shall be given 2.5 marks per completed working year, up to maximum 25 marks;

(iii) casual contractual workers in Corporation shall be given age relaxation, equivalent to their service duration in Corporation or till they attain the maximum age of 50 years, whichever is less, as on the date of advertisement.

COLUMN-I*(Existing Clause)***NOTE-**

1. if two or more candidates have equal points, the name of the candidates who in senior in age shall be placed higher in the list.
2. if two or more candidates have equal quality points and age, the name of the candidate shall be placed in the list in English alphabetical order.

COLUMN-II*(Clause as hereby substituted)***Note-**

1. If two or more candidates have equal points, the name of the candidates who are senior in age shall be placed higher in the list.
2. If two or more candidates have equal points and age, the names of the candidate shall be placed in the list in English alphabetical order.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Pramukh Sachiv.